भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5564
27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत के कुशल चिकित्सा पेशेवरों का योगदान

†5564. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण, ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसाइंसेज जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले उपचार प्रदान करने में भारत के कुशल चिकित्सा पेशेवरों और उन्नत स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के योगदान को मान्यता देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के रूप में, महाराष्ट्र को सरकारी और निजी अस्पतालों में तृतीयक और चतुर्थक देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लक्षित पहलों से लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोगियों के परिणामों (पेशेंट आउटकम्स), नैदानिक दक्षता और देखभाल की निरंतरता में सुधार के लिए महाराष्ट्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्मों और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट देखभाल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और उन्हें बनाए रखने (रिटेंशन) के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उन्नत और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र के रूप में राज्य की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए अस्पतालों में डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों और आधुनिक उपचार प्रोटोकॉल को एकीकृत करने हेतु और सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सरकार विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भारत के कुशल चिकित्सा पेशेवरों और सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करती है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को विधिवत स्वीकार किया है, जिसमें डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने संकट प्रबंधन में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने कोविड-19 का सामना कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को बीमा कवर प्रदान करते हुए वित्तीय संरक्षण भी प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण करने और टीकाकरण अभियानों में स्वास्थ्यकर्मियों को प्राथमिकता देने के प्रयास किए गए, जिससे उनके समर्पण को मान्यता दी गई और उनके कल्याण की रक्षा की गई।

आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है। इसके दो प्रमुख घटक हैं: व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए **स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी),** और **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई),** जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट स्तर के अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य जेब से होने वाले खर्च को कम करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना और समग्र जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है।

इसके अलावा, जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के निर्माण और सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन आदि के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=55&lid=68

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, भारत सरकार पिछड़े और अल्प सेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना आदि जैसी योजनाएं लागू कर रही है।

सरकार **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)** के तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों और डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्मों को अपनाने को बढ़ावा देती है। इन पहलों में देखभाल की निरंतरता में सुधार के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन सेवाएं और अस्पताल सूचना प्रणाली का निर्माण शामिल है। रोगी परिणामों और नैदानिक दक्षता को बढ़ाने के लिए **राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस)** और प्रत्यायन ढांचे जैसे गुणवत्ता आश्वासन तंत्र लागू किए गए हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करना है। यह डिजिटल राज मार्गों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को दूर करेगा। एबीडीएम के तहत, डिजिटल

स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में डेटा गुणवत्ता, रोगी की सहमति और अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन गतिविधि की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को औषधि एवं वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) जैसी एक मजबूत आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई है। ।

एनएचएम के तहत, महाराष्ट्र सहित देश में चिकित्सा पेशेवरों के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए कई लक्षित उपाय किए गए हैं, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता, राज्यों को "आप कोट करें हम भुगतान करें" सहित बातचीत योग्य वेतन की पेशकश करने की सुविधा, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वरीयता पर प्रवेश जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन और व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल (सीईएमओएनसी) और जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) में प्रशिक्षण के माध्यम से डॉक्टरों का बहु-कौशलीकरण शामिल है।
